बलरामपुर पुलिस

# फर्जी मुकदमे में फंसाने वाला 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी

**बलरामपुर।** फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए कूटरचित दस्तावेज और झूठे साक्ष्य तैयार करने के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र स्थित औरंगाबाद बालाजीपुरम निवासी बलदेव सिंह के रूप में हुई है।

बलदेव सिंह। आरोपी

एसपी विकास कुमार ने बताया कि 13 मई 2023 को न्यायालय के आदेश पर कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज किया गया था। मथुरा निवासी धर्मेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने साजिश कर उसके चचेरे भाई चंद्रवीर उर्फ कालू को फर्जी मुकदमे में फंसाने के लिए कूटरचित दस्तावेज और झूठे साक्ष्य तैयार किए। आरोप है कि पवन कुमार ने फर्जी पता दर्शाकर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया और गौरव उपाध्याय ने राकेश कुमार यादव नाम से फर्जी अधिवक्ता बनकर वकालतनामा लगाया। मामले में पांच लोगों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज हुआ था।

बलदेव सिंह लगातार फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 16 जून 2025 को 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस टीम ने सर्विलांस की मदद से 12 अगस्त को मथुरा से उसे गिरफ्तार कर लिया।